रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

HKCI का KIJUA The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3--उप-खण्ड (ii) PART II-- Section 3--Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 890]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 11, 2012/वैशाख 21, 1934
No. 890]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 11, 2012/VAISAKHA 21, 1934

सड्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2012

का.आ. 1056(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"9	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 20, सं.20ए, सं.21, सं.22 [सीमा सड़क विकास बोर्ड को सौंपे	हिमाचल
	गए सड़क खंडों और किमी 62.000 से किमी 67.200 तक (हरियाणा/हिमाचल	प्रदेश राज्य
	प्रदेश सीमा-डेल्ली खंड) खंड को छोड़कर], सं. 21ए, सं.70, सं.72, सं.72बी,	सरकार"
	सं.73ए और सं. 88 का उतना भाग जो हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है ।	

[फा. सं. एन एच-14013/15/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096(अ), तारोख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन का.आ. 452(अ), 16 मार्च, 2012 द्वारा किया गया था।

1695 GI/2012

(1)

MINISTRY OF BOAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2012

S.O. 1056(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the Schedule to the said notification, for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely, -

1	2	3
"9	So much of National Highways No.20, No.20A, No.21, No.22 [excluding the stretches entrusted to Border Road Development Board and from Km. 62.200 to Km. 67.200 (Haryana/Himachal Border-Delli)], No. 21A, No.70, No. 72, No. 72B, No. 73A and No. 88 as are situated within the State of Himachal Pradesh.	State Government of Himachal Pradesh"

[F. No. NH-14013/15/2011-P & M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note.—The Principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 452(E), dated the 16th March, 2012.

2